न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील / 38 / 2024

रामगोपाल पुत्र श्री गोकुलचन्द जाति गडरिया (गाडर) निवासी चक हथकोली तहसील व जिला भरतपुर

.......अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार भरतपुर

.......रेस्पो0

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 13.12.1995 वाके ग्राम चक हथकोली, न्यायालय तहसीलदार भरतपुर कैम्प चिकसाना

उपस्थित :–
1–श्री राजेश कुमार सोगरवाल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–पैरोकार सरकार

आदेश **दिनांक 24.01.2025**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश तहसीलदार भरतपुर दिनांक 13.12.1995 पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण 162 दिनांक 13.12.1995 मौका एवं रिकार्ड के विपरीत रेस्पो. के हक में विरासतन स्वीकार किया गया है, उक्त नामान्तकरण को निरस्त कराने के लिये यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. एवं तहत पत्रावली तलब की गई। रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तहसीलदार भरतपुर के पत्र क्रमांक / एल.आर. / 7523 दिनांक 12.12.2024 से प्राप्त नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 13.12.1995 की फोटो प्रति शामिल मिसिल की गई। उपस्थित योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

.........2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्को में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट के मृतक पिता गोकुलचन्द का विरासतन दाखिला खारिज खोलने से पूर्व रेस्पोडेन्ट द्वारा वारिसान के सम्बन्ध में कोई जॉच नहीं की गई है। अपीलान्ट के नाम के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज नहीं लिया है। अपीलान्ट का नाम दस्तावेजात जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, ई–श्रम कार्ड आदि में रामगोपाल लिखा हुआ है। जबकि दाखिल खारिज खोलने में केवल गोपाल नाम दर्ज कर दिया है, जो गलत है। गलत नाम दर्ज होने से अपीलान्ट राज्य सरकार व केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहा है। उक्तानुसार नामा0 सं0 162 दिनांक 13.12.1995 दस्तावेजात के विपरीत दर्ज किये जाने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया है। अपील देरी से प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में अभिभाषक अपीलान्ट का कहना है कि पी एम किसान सम्मान योजना में नाम जुडवाने हेतु नकल जमाबन्दी प्राप्त की तब अपीलान्ट को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। तब अपीलान्ट द्वारा उक्त दाखिल खारिज की नकल ली जाकर अपील पेश की गई है। अपील अन्दर म्याद शुमार किये जाने हेतु धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। अतः अपील अन्दर म्याद शुमार की जाकर अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट का नाम संशोधन किये जाने की प्रार्थना की गई है।

राजकीय पैरोकार ने दौराने बहस कहा कि अपीलान्ट द्वारा वारिसान के हक में नामान्तकरण दर्ज करते समय कोई भी साक्ष्य अथवा दस्तावेज पेश नही किया गया है। अपील म्याद बाहर पेश होने से काबिल खारिज के है, अपील खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार सरकार के कथनों पर मनन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत रुलिंग का अध्ययन किया गया। प्रथमतः हमने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पर विचार किया गया। जैसा कि आर.आर.डी.2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि :–

(A) " Limitation Act,1963 Section 5 & While considering the question of condonation of delay in filing of revision, appeal or reference by State Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merists of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large would be sufferer That makes a distinction and category of litigant State as compared to ordinary litigants."

.........3

जिला कलेक्टर
भरतपुर

अपील / 38 / 2024
रामगोपाल बनाम तहसीलदार भरतपुर

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उक्तानुसार नजीर को मध्यनजर रखते हुये अपील को अन्दर म्याद मानते हुये। अपील की मैरिट पर विचार किया गया। अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 13.12.1995 का अवलोकन किया गया। नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 13.12.1995 मृतक गोकल पुत्र परशादी कौम गड़रिया की विरासत का नामान्तकरण अपीलान्ट के हक में स्वीकार किया गया है। अपीलान्ट ने उक्त नामान्तकरण में अपना नाम गलत दर्ज किया जाना बताया है तथा सही नाम रामगोपाल दर्ज किये जाने की प्रार्थना की गई है। इस सम्बन्ध में पत्रावली में उपलब्ध फोटो प्रति आधार कार्ड वगैरा का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की प्रार्थना पर विचार किया जाकर प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं कि वे अपीलान्ट के नाम के बारे में पुनः जॉच करें तथा दस्तावेजात आदि की विधिवत जॉच करते हुये पुनः निर्णय पारित करें।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 162 दिनांक 13.12.1995 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाता है कि वे अपीलान्ट के नाम के बारे में दस्तावेजात के आधार पर विस्तृत जॉच करें तथा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर देते हुये पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24.1.2025 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. अमित यादव)
जिला कलक्टर,
भरतपुर